घटनास्थल प्रबन्धन प्रोटोकॉल

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश

Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh

प्रकाशक

प्रकाशन शाखा

डॉ॰ भीमराव आम्बेडकर पुलिस अकादमी

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

मुद्रक

वीपीएस इंजीनियरिंग इम्पैक्स प्रा. लि.

बी–4, सैक्टर–60, नौएडा–201309

फोन : 0120–4317109

ई–मेल : marketingvps2013@gmail.com

संस्करण 2018

35000 प्रतियाँ

ओ०पी० सिंह
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

दिनांकः लखनऊ 13 जुलाई, 2018

प्राक्कथन

डॉ० भीमराव आम्बेडकर उ०प्र० पुलिस अकादमी, मुरादाबाद द्वारा राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों की विषय सामग्री में निरन्तर गुणात्मक सुधार किया जाता रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2018 में सभी पुस्तकों को अध्यावधिक करते हुए और उनकी भाषा को सरल एवं बोधगम्य बनाते हुए पुस्तकों को नये कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। इस सराहनीय प्रयास के माध्यम से पुलिस अकादमी जहाँ एक ओर प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्यक्रम के रूप में समुचित एवं प्रासांगिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षकों, सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी यह पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अकादमी के निदेशक श्री सुनील कुमार गुप्ता के दिशा निर्देशन में इन पुस्तकों को अध्यावधिक किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पुस्तकें उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगी। मैं इनकी सफलता हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त करता हूँ।

(ओ०पी० सिंह)

एस० के० गुप्ता
अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक
उ० प्र० पुलिस अकादमी
मुरादाबाद

दिनांकः मुरादाबाद 14 जुलाई, 2018

प्रस्तावना

पुलिस के समक्ष निरन्तर उत्पन्न हो रही चुनौतियों को देखते हुए उनके अनुरुप पुलिस बल को प्रशिक्षित करना एक महत्वपूर्ण व चुनौती भरा कार्य है। डॉ० बी०आर० आम्बेडकर उ०प्र० पुलिस अकादमी, मुरादाबाद एक प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान होने के कारण अनेक वर्षों से इस कार्य को पूर्ण करने का दायित्व निभा रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अकादमी के अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों द्वारा टीम भावना के तहत सक्रिय सहयोग देते हुए वर्ष 2018 में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रकाशित की जा रही पुस्तकों में उपयोगी एवं प्रासंगिक विषय वस्तुओं को समाहित करते हुए उसकी भाषा को सरल एवं बोधगम्य बनाया गया है। ये पुस्तकें जहाँ एक ओर प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण काल में ज्ञानवर्धन करेंगी, वहीं उनके सेवाकाल में भी उन्हें व्यावसायिक कार्य में दक्ष बनाने में उपयोगी सिद्ध होंगी। समस्त पाठकों को मेरी शुभकामनाएं।

(एस०के० गुप्ता)

निर्देश

माननीय उच्च न्यायालय (उ०प्र०), इलाहाबाद द्वारा पारित

सन्दर्भ : Case : CRIMINAL MISC WRIT PETITION NO. 1797 of 2011 Petitioner - Mohammad Qaism

Respondent - State of U.P. And others

This court would also like to be furnished with details of a protocol that may have already been or is in the process of being developed as to how investigation is actually to be carried out when a major crime by known or unknown offenders is reported. We would like to be informed whether the protocol mentions points such as whether the scene of the crime is to be cordoned off by a coloured ribbon by the investigating officer, where no one except the investigators and the forensic experts may enter, their manner of collecting samples, so that it is not tampered with. Even politicians, senior district officials, VIPs and media should not have permission to enter such areas. The manner and time frame by which the photographers and other specialized forensic personnel of different fields are to carry out their tasks- dog squad, finger or foot print collections, hair, vomit, excreta, blood or seminal stains and other items for DNA or other testing also needs to be spelt out.

अनुवाद

उच्च न्यायालय उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा निर्देशित किया गया है कि ज्ञात अथवा अज्ञात जघन्य अपराधों में वास्तव में अन्वेषण किस प्रकार किया जाना है के संबंध में प्रोटोकॉल विवरण जो तैयार कर लिए गये है अथवा जिनके तैयार किए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है, न्यायालय को उपलब्ध करायें जायें। न्यायालय द्वारा यह अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है कि क्या घटनास्थल रंगीन फीते से विवेचना अधिकारी द्वारा घेर दिये जाने का उल्लेख किया गया है जिससे कि विवचेनाधिकारी तथा फॉरेन्सिक विशेषज्ञ अपने ढंग से साक्ष्य संकलित कर सके, अन्य किसी का प्रवेश न हो तथा साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न संभव हो सके। यहाँ तक राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ जनपद अधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति तथा मीडिया को भी ऐसे स्थलों पर प्रवेश का अनुमति नहीं होगी। प्रक्रिया तथा समय अवधि का निर्धारण जिसमें फोटोग्राफर तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट फॉरेन्सिक विशेषज्ञ अपना कार्य किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे – स्वान दल, अँगुलि छाप, पद चिन्ह, बाल, उल्टी, उत्सर्जी पदार्थ, रक्त अथवा वीर्य के धब्बे तथा अन्य पदार्थ जो डी०एन०ए० तथा अन्य परीक्षणों से संबंधित है का भी समावेश दिया जाना वांछित है। ;हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी पैराग्राफ ही मान्य समझा जाये।)

घटनास्थल एवं उसका निरीक्षण सम्बन्धी मुख्य निर्देशः-

अन्वेषण के लिए प्रक्रिया के अन्तर्गत घटनास्थल का निरीक्षण, द०प्र०सं० की धारा १५७ में उल्लिखित है।

घटनास्थल किस प्रकार का है?:

थाना प्रभारी/विवेचक को सबसे पहले इस बात की जानकारी करनी चाहिए कि घटनास्थल बाहरी स्थान का है या मकान के अन्दर का अथवा वाहन के अन्दर का है या वाहन के बाहर का।

अविलम्ब घटनास्थल पर पहुँचनाः-

घटना की प्रथम सूचना मिलते ही थाना प्रभारी/विवेचक को अच्छे उप-निरीक्षकों की सहयोगी टीम के साथ एवं क्राइम किट बाक्स एवं प्रशिक्षित फोटोग्राफर के साथ अन्य सभी संबंधित को सूचना देते हुये अतिशीघ्र घटनास्थल पर पहुँचना चाहिए।

घटनास्थल को सुरक्षित करनाः-

प्रायः देखने में आया है कि घटना घटते ही सैकड़ो व्यक्तियों की भीड़ उत्सुकतावश घटनास्थल को देखने के लिए उमड़ पड़ती है जिससे साक्ष्यों के नष्ट होने अथवा इधर उधर फैलने की सम्भावना बनी रहती है। अतः पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि घटनास्थल पर पहुँचकर सर्व प्रथम घटनास्थल को सुरक्षित एवं संरक्षित करें यदि घटनास्थल मकान के अन्दर का है तो एक आरक्षी को मुख्य गेट पर लगाना चाहिये यदि घटनास्थल खुले स्थान का है तो एक उप-निरीक्षक तथा २ आरक्षी लगाना चाहिए। वह आवश्यकतानुसार घटनास्थल को किसी रस्सी आदि से भी संरक्षित कर सकते हैं।

फोटोग्राफी करानाः-

घटनास्थल का किसी कुशल फोटोग्राफर से विभिन्न कोणों से फोटो ग्राफ कराना चाहिए घटनास्थल पर पड़े विभिन्न साक्ष्यों पर नम्बर डालकर फोटोग्राफ कराना चाहिए।

नक्शा नजरी बनानाः-

घटनास्थल का एक मानचित्रा भी बनाना चाहिए जहाँ जो साक्ष्य पड़ा मिले मानचित्रा में अंकित करना चाहिए। पुलिस अधिकारियों द्वारा बनाया गया मानचित्रा पैमाने पर आधारित नहीं होता अपितु नजर के आधार पर बिना पैमाने के तैयार किया जाता है। इसलिये इसे नक्शा नजरी भी कहते हैं। नक्शा नजरी हमेशा उत्तर की दिशा को मुंह करके खड़ा होकर बनाना चाहिए और उत्तर दिशा को हमेशा पृष्ठ के ऊपर की ओर को दर्शाना चाहिए।मानचित्रा में थोड़ी त्रुटि भी मामले को संदेहास्पद बना सकती है तथा इसका लाभ अभियुक्त को मिल सकता है। नक्शे में निम्न चीजें विशेष रूप से अंकित करना चाहिए।

१. दिशा का चिन्ह

२. घटनास्थल का पता

३. अपराधी के आने की दिशा

४. अपराधी के जाने की दिशा

५. चश्मदीदष्साक्षियों की उपस्थिति

६. घटनास्थल पर पाये गये प्रदर्श

७. आसपास के मार्ग, मकान व स्थाई चिन्हों का विवरण

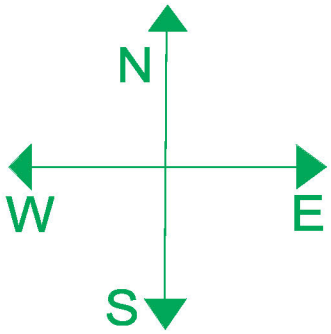

- विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) के वैज्ञानिकों को बुलाकर सूक्ष्म निरीक्षण कराना चाहिए।
- घटनास्थल पर पायी जाने वाली वस्तुओं को कब्जे में लेकर दो व्यक्तियों की उपस्थिति में सीलबन्द कर देना चाहिए।

घटना पर क्या-क्या मिल सकता है:-

- रक्त रंजित वस्तुऐं
- फिंगर प्रिन्टस-मेज,ग्लास, वाहन, दरवाजा
- फुट प्रिन्टस-घटनास्थल या रास्तों पर
- कपड़ा/कपड़े के टुकड़े-कमीज पैंट कोट कम्बल
- चले कारतूस के खोखे
- बाल-हत्या, बलात्कार, अपहरण में
- कांच के टुकड़े-हिंसा व एक्सीडेन्ट में
- ईंट व पत्थर के टुकड़े-झगड़े में
- अन्य वस्तु-सिगरेट का टुकड़ा, रुमाल, पर्स आदि।

घटना प्रबन्धन प्रोटोकॉल

-डॉ० श्याम बिहारी उपाध्याय

विवेचना अधिकारी द्वारा यह सदैव याद रखना आवश्यक है कि घटनास्थल एवं अपराध से संबंधित साक्ष्य पुनः उसी मूल स्थिति में नहीं प्राप्त हो सकते। अतः घटनास्थल छोड़ते समय निम्न बिन्दुओं का कदापि विस्मरण नहीं करना चाहिए।

1. घटनास्थलः-

- घटनास्थल पर पायी गयी किसी भी वस्तु की स्थिति को फोटोग्राफी, पंचनामा, वीडियोग्राफी का विवरण नोट किये बिना परिवर्तित नहीं करना चाहिए।
- फर्नीचर, दरवाजों , खिड़कियों, पर्दों, टैपस्ट्री, कारपेट, चारपाई, बिछावन, परदों, फिक्सर, फिटिंग्स आदि का विवरण नोट करना छोड़ना नहीं चाहिए।
- रक्त के धब्बे, वीर्य, मूत्रा, पसीना, पेन्ट, रेशे व बालों की अनदेखी न करें एवं जो वस्तुएं किसी कट मार्क द्वारा प्रभावित हुयी हो उन्हें सुरखित रखें।
- बोतल, कन्टेनर्स, ग्लास, पात्रों की स्थिति नोट करें कि वह खाली, आधी भरी अथवा पूर्ण भरी अवस्था में है या उनमें उपस्थित द्रव विषैला है अथवा अल्कोहल है।
- दृष्टिगत समस्त वस्तुओं को सुरक्षित करें। यह संभव है कि तात्कालिक रूप से वह अनुपयोगी हो किन्तु बाद में वह महत्वपूर्ण सिद्ध हो।
- प्रत्येक सन्देहास्पद कपड़े, रेशे, बाल, कागज, दस्तावेज आदि का संकलन करना न भूलें क्योंकि अपराधी से इनका सम्बन्ध हो सकता है।
- घटनास्थल को असुरक्षित न छोड़ें। घटनास्थल की सुरक्षा हेतु किसी की ड्यूटी लगायें।
- किसी भी वस्तु यथा सिगरेट के टुकड़े, सिगरेट की राख, पदचिन्ह, जूतों के निशान एवं अंगुलि चिन्हों आदि को कभी भी नोट करना न भूलें क्योंकि वह अभियुक्त तक पहुँचने के लिए एक कड़ी के रूप में सिद्ध हो सकती है।
- घटनास्थल निरीक्षण पूर्ण होने तक दरवाजों, खिड़कियों, तालों, सीढ़ी, प्रकाश स्रोतों, पंखों, आने तथा जाने के मार्ग को मूल रूप में बनाये रखें।
- अपराधस्थल से संबंधित बाथरूम, शौचालय, वॉशबेसिन व टेलीफोन का प्रयोग कदापि न करें।
- विवेचना के दौरान सभी महत्वपूर्ण आवश्यक प्रतिवेदनों (धनात्मक व ऋणात्मक) को प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करना न भूलें।
- सदैव घटनास्थल रिपोर्ट में फोटोग्राफ्स, नक्शों व स्केचिंग को सम्मिलित करें।

2. फोटोग्राफीः-

- समस्त महत्वपूर्ण एवं जघन्य अपराधों के घटनास्थलों को श्वेत श्याम अथवा रंगीन फोटोग्राफी द्वारा प्रदर्शित करें।

- हत्या, संदिग्ध मृत्यु, फाँसी, जलने (बर्निंग), डूबने व सड़क दुर्घटना जैसे मामलों में निरीक्षण के दौरान लाश का फोटाग्राफ लेना न भूलें।
- इमारतों, रोड, सड़क, बाउन्ड्री, दीवार, दरवाजों, खिड़कियों, खम्भों, पेड़ों आदि की वर्तमान स्थिति हमेशा नोट करें क्योंकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।
- चोटों, लिगेचर मार्क, घिसटन के निशानों , खुरचने के निशानों , फटने व सूजन जो पीड़ित के शरीर पर हो, फोटोग्राफ लेना न भूलें।
- औजारों के निशान, टायरों के निशान, स्किड चिन्ह, पदचिन्हों एवं जूतों के निशानों की फोटोग्राफी करते समय स्केल का सदैव प्रयोग करें।
- फोटोग्राफ महत्वपूर्ण एवं सत्यता के प्रतिरूप होने चाहिए।
- वस्तुओं का एक दूसरे से संबंध तथा वस्तुओं की स्थिति फोटोग्राफ में स्पष्ट होनी चाहिए जो पिछली पृष्ठभूमि को दर्शा सके।
- संकलित किये गये फोटोग्राफ में समय, दिनांक, अभियोग संख्या, थाना, स्थान एवं फोटाग्राफर का नाम अंकित होना चाहिए।
- प्रवेश एवं निकलने के स्थान की फोटोग्राफी करना न भूलें।

3. स्केचिंगः-

- मोटर वाहन दुर्घटना, हत्या तथा आग्नेयास्त्रा प्रकरणों के घटनास्थल का नक्शा बनाना न छोड़ें।
- विभिन्न वस्तुओं, फिटिंग्स, फर्नीचर, वाहन, लाश तथा अस्त्राों की वर्तमान स्थिति का नक्शे में उल्लेख करना न भूलें।
- नक्शे में सड़क, दीवार, नदी, कुएँ, मकान, रेलवे लाईन तथा पेड़ों आदि की वर्तमान स्थिति का अवश्य उल्लेख करें।
- नक्शे में शरीर के ऊपर पहचान चिन्ह (जोड़ने का निशान), चोटों तथा अन्य चिन्हों का उल्लेख अवश्य करें।
- नक्शे में दिशाओं का उल्लेख अवश्य करें, उत्तर दिशा को सदैव ऊपर की ओर दर्शायें।
- नक्शे में अभियोग संख्या थाना, समय, दिनांक तथा स्थान (घटनास्थल) का उल्लेख अवश्य करें।
- सदैव दूरियों को टेप द्वारा नापे तथा लगभग दूरी न दर्शायें।
- सदैव प्रचलित संकेतों, अक्षरों का प्रयोग करें तथा अंकों की भीड़ एकत्रित न होने दें।

4. अज्ञात शवः-

- संदिग्ध मृत्यु, दुर्घटना एवं हत्या के मामलों में अज्ञात मृतकों की पहचान कराने की अनदेखी न करें।

- अज्ञात शव पर पाये गये गोदना/तिल की फोटोग्राफी करें तथा विशेषकर चोटों की फोटोग्राफी एवं पहचान करें।
- जहाँ तक सम्भव हो अज्ञात मृतक के अँगुलि-चिन्ह स्याही से लेना न भूलें।
- पोस्टमार्टम सर्जन को अँगुलियों की त्वचा एवं बिसरा संरक्षित करने को कहें।
- अज्ञात मृतक के शरीर के कपड़ों में उपस्थित टेलर चिन्हों, ड्राई क्लीनर मार्क को नोट करना न भूलें।
- अज्ञात मृतक के पास से प्राप्त ड्राइविंग लाइसेन्स, व्यक्तिगत वस्तुओं, परिचय पत्रा, पैनकार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा एटीएम कार्ड के आधार पर पहचान करें।
- भ्रूण हत्या, शिशु वध के प्रकरणों में भ्रूण एवं शिशु की आयु की जानकारी अवश्य करें।
- जाँच करने हेतु हड्डियों को अवश्य भेजें यदि कंकाल मिला हो तो लिंग, आयु, लम्बाई, फ्रैक्चर से संबंधित डाटा अवश्य प्राप्त करें।
- छोटी से छोटी हड्डियों को कब्जे में लें क्योंकि इनमें जहर देने,चोटों व मृत्यु के कारण से संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं।

5. <u>पोस्टमार्टम व मेडीकोलीगल परीक्षण</u>:-

- अप्राकृतिक व संदिग्ध मृत्यु के मामलों में पोस्टमार्टम अवश्य करायें।
- चिकित्सक द्वारा सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं (धनात्मक या ऋणात्मक) का उल्लेख किया गया है, यह सुनिश्चित करें।
- चिकित्सकीय रिपोर्ट में अंकित चोटों व अन्य महत्वपूर्ण चिन्हों से संबंधित आपकी राय में विरोधाभास तो नहीं है, यह सुनिश्चत कर लें।
- पोस्टमार्टम प्रपत्रा में चिकित्सक द्वारा सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भरा गया है इसकी जाँच करना न भूलें।
- चोटों व अन्य बिन्दुओं पर विरोधाभास होने पर मजिस्ट्रेट को सूचित करना न भूलें।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने से पूर्व चिकित्सक से मेडीकोलीगल प्रदर्शों के संबंध में प्राथमिक राय अवश्य लें।
- विसरा, रक्त, ऊतक आदि हेतु सही परिरक्षक का प्रयोग किया गया है यह सुनिश्चित करें।
- चिकित्सक से ज्ञात करें कि विसरा तथा स्टमक वॉश आदि नार्मल सैलाइन में तथा हिस्टो पैथोलोजी परीक्षण हेतु अन्य आन्तरिक ऊतकों को फार्मालीन में संरक्षित किया गया है।
- साँप काटने के मामले में काटने के स्थान की त्वचा का टुकड़ा संरक्षित किया गया है या नहीं, सुनिश्चित कर लें।

- चिकित्सक से यह अवश्य ज्ञात करें कि जलने के मामले में श्वास नली में कार्बन कणों की उपस्थिति हेतु तथा डूबने के मामले में डायटम की उपस्थिति हेतु फीमर अथवा टिबिया-हड्डी संरक्षित की गयी है।
- विसरा, स्टमक कन्टेन्ट्स एवं रक्त को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने में विलम्ब न करें।

6. हत्या:-

- हत्या के पूर्व मृतक की गतिविधि तथा हत्या किये जाने के उद्देश्य हेतु तथ्य एकत्रा किये जाने चाहिए।
- हत्या के उद्देश्य की पुष्टि हेतु परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एकत्रा करना न भूलें।
- सभी दिशाओं से चोटों तथा अन्य निशानों को दर्शाने के लिये शव की फोटाग्राफी करना चाहिए।
- अभियुक्त के शरीर पर संघर्ष के कारण आयी चोटों को साक्ष्य के रूप में देखना न भूलें।
- अभियुक्त के कटे कपड़े एवं कपड़ों पर रक्त के धब्बों को न भूलें।
- अपराधी के नाखूनों में रक्त को नोट करना न भूलें।
- गला घोटने के मामले में संघर्ष एवं हिंसा के निशान को देखना न भूलें।
- विष द्वारा हत्या के मामले में विसरा प्रिजर्वेशन की शृंखलाबद्ध कड़ी को नहीं भूलना चाहिए।
- जलने से हुई हत्या के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे स्टोव, मिट्टी के तेल के कन्टेनर, लिड की स्थिति, माचिस की स्थिति, धुएँ का पैटर्न (क्रम) भी देखें।

7. आत्महत्या:-

- आत्महत्या का केस जब तक सिद्ध न हो जाये उसे हत्या समझना चाहिए। पोस्टमार्टम कराना न भूलें।
- मृतक के शरीर पर उत्पन्न चोटों का प्रकार, स्थिति, दिशा एवं आकार का सूक्ष्मता से अध्ययन करें।
- लाश की स्थिति को कैडावेरिक फार्म में विशेषतः देखना चाहिए। यह एन्टीमार्टम जलने को इंगित करता है।
- जलने के केस में डिग्री आफ बर्न (जलने के प्रतिशत) को नोट करना नहीं भूलना चाहिए।
- आग्नेयास्त्रा के मामले में आग्नेयास्त्रा हाथ में किस स्थिति में हैं, देखना चाहिए।
- फाँसी के मामले में अपराध स्थल का विस्तृत सर्वे करना चाहिए कि लिगेचर मार्क लिगेचर वस्तु से मेल खाता है या नहीं।

फाँसी के मामले में जमीन से लटकने के स्थान तक पूर्ण दूरी, गर्दन से एंकर प्वांइट की दूरी, पैरों से जमीन और मृतक की लगभग ऊँचाई तथा सपोर्टिंग वस्तु की एंकर प्वाइंट तक पहुंचने को नोट करना चाहिए।

विष द्वारा आत्महत्या के मामले में उल्टी, कप, ग्लास, बोतल, दवायें, जहर, कन्टेनर जो घटनास्थल पर पाये जाते हैं को एकत्रा करना एवं प्रिजर्व करना न भूलें।

८ण दुर्घटनाः

विभिन्न दिशाओं से फोटोग्राफी करने के बावजूद घटनास्थल का अच्छा नक्शा बनाना न भूलें।

सड़क दुर्घटना के मामले में घटनास्थल को डमी तथा समान वाहन द्वारा पुनर्स्थापना करना न भूलें।

हिट एण्ड रन केसेज में वाहन में डेन्ट मार्क, स्क्रैच, डैमेज तथा ट्रेस साक्ष्य जैसे बाल, रेशे, कपड़े, मिट्टी की जाँच करना न भूलें क्योकि ये संबंधित वाहन से संबंध को स्थापित कर सकता है।

डूबने के मामले में परिस्थितजन्य साक्ष्यों को अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह विवेचना में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

यदि दुर्घटना किसी कार्य करने वाले स्थान यथा फैक्ट्री, प्रयोगशाला, वर्कशाप या निर्माणाधीन स्थल पर होती है तो उस क्षेत्रा के टेक्नीशियन अथवा विशेषज्ञ से सहायता लेने में संकोच न करें।

यदि दुर्घटना विस्फोट से होती है तो उसको हल्के में न लें बल्कि विवेचना हेतु साथ में सुरक्षित डिवाइस सहित विस्फोटक विशेषज्ञ को साथ में लें।

आगजनी दुर्घटना के मामले में हमेशा क्रमबद्ध तरीके से आगजनी प्रारम्भिक स्थान तथा ज्वलनशील पदार्थों की विवेचना करनी चाहिए।

आगजनी दुर्घटना के मामलों में सही तथ्य जानने का प्रयास करना चाहिए। सदैव मृतक के अन्डरगारमेन्ट्स में ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए।

विशेषज्ञ द्वारा दुर्घटना में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से यह जानना चाहिए कि व्यक्ति तक विष कैसे पहुँचा?

९ण जलकर मृत्युः

जलकर मृत्यु के संदिग्ध प्रकरणों को प्रथम दृष्टया तब तक हत्या का प्रकरण मानना चाहिए जब तक तथ्य स्पष्ट न हो जायें।

हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना के मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

चिकित्सक से जलने के प्रतिशत की जानकारी करनी चाहिए।

जलने के घटनास्थलों में अतिरिक्त क्षेत्रा को भी देखना न भूलें।

मृतक शरीर पर धुएँ का जमाव व धुएँ की दिशा घटनास्थल छोड़ने से पहले नोट करना न भूलें।

अपराध स्थल के पंचनामा में दरवाजों व खिड़कियों की स्थिति, बोल्ट व स्टापर्स की स्थिति को दर्शायें।

जलने के पहले संघर्ष के प्रकार के साक्ष्य को देखें इसमें टूटी हुई चूड़ी, अव्यवस्थित वस्तुओं एवं एन्टीमार्टम चोटों को देखें।

गैस स्टोव की नॉब्स की स्थिति, रेगुलेटर बंद या खुला, मिट्टी के तेल का कन्टेनर बंद या खुला एवं माचिस की स्थिति देखें।

१०ण फाँसी व गला घोंटना:

फाँसी के घटनास्थल का हमेशा समस्त मापों सहित नक्शा बनायें एवं फोटोग्राफ लें।

फाँसी के घटनास्थल में परिस्थितजन्य साक्ष्यों को अनदेखा न करें क्योंकि इनकी आत्महत्या व फाँसी हत्या में अहम् भूमिका होती है।

चिकित्सक से यह पूँछने में संकोच न करें कि लिगेचर मार्क एन्टीमार्टम है या पोस्टमार्टम?

यदि लिगेचर मार्क पोस्टमार्टम प्रकृति का है तो जहरखुरानी को अनदेखा न करें।

लार टपकने के बहाव को देखें, यह एन्टीमार्टम फाँसी का अतिमहत्वपूर्ण संकेत हैं।

लटकने के स्थान व गर्दन पर लगी गाँठ को कभी न काटे, यह मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

लाश के नीचे जमीन पर मूत्रा की उपस्थिति देखें।

गला घोटने के मामले में संघर्ष एवं हिंसा की चिन्हों की अनदेखी न करें।

हमेशा गला घोंटने को हत्या समझकर केस की विवेचना करें।

गला घोंटने की दशा में सदैव संघर्ष के निशानों की उपस्थिति पायी जाती है, केवल शिशुओं, वृद्ध, विक्षिप्त एवं नशे की अवस्था में छोड़कर।

दम घुटने में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को न भूलें क्योंकि विवेचना में इनकी अहम भूमिका हो सकती है।

११ण बलात्कार के मामले:

पीड़िता व अपराधी का चिकित्सीय परीक्षण करवाना न भूलें।

पीड़िता के बारे में कुछ सूचनायें यथा मानसिक स्थिति, चलने की स्थिति, बोलने की प्रवृत्ति तथा चोटों के बारे में चिकित्सक को सूचनायें देने में संकोच न करें।

चिकित्सक से हमेशा पीड़िता की आयु, संघर्ष के संकेत तथा हिंसा और बलात्कार के बारे में राय प्राप्त करें।

चिकित्सा अधिकारी से जननांगों में आयीं चोटों के विषय में जानकारी लें।

रक्त व वीर्य के धब्बों के प्रदर्श अग्रिम परीक्षण हेतु संरक्षित करना न भूलें।

हिंसा के चिन्हों के लिये अभियुक्त का परीक्षण कराना न भूलें।

अपराध स्थल पर उपस्थित बालों विशेषकर जननांग के बाल (प्यूबिक हेयर) को सदैव देखना चाहिए।

पीड़िता व अभियुक्त के प्यूबिक हेयर का नमूना एकत्रित करना न भूलें।

पीड़िता के नाखूनों से रक्त, टिशू एवं त्वचा आदि का नमूना लेना न भूलें।

पीड़िता तथा अपराधी के कपड़ों पर उपलब्ध धूल, मिट्टी, कीचड़ एवं पादप पदार्थ आदि संकलित करें।

१२ए अपराधिक गर्भपात:

गर्भपात के मामलों में घटना के क्रम को सुनिश्चित करें।

यदि पीड़िता की मृत्यु हो गयी है तो चिकित्साधिकारी से रीसेन्ट व पास्ट प्रसव चिन्हों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।

विवेचना के उद्देश्य से गर्भधारण की स्थिति महत्वपूर्ण होती है सदैव याद रखना चाहिए।

गर्भपात के लिये कौन लाया? स्थान कौन सा था? दिनांक व समय से संबंधित सूचनायें प्राप्त करना न भूलें।

चिकित्सा अधिकारी से चोटों, विष के लक्षण व मृत्यु के कारण के बारे में सदैव जानकारी लें।

प्रयोग किये गये उपकरणों, रसायनों आदि के बारे में जो सहायक स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराये गयें हैं, सूचनायें एकत्रित करें।

अपराध स्थल तथा पीड़िता के कपड़ों से रसायनों एवं विषों की तलाशी करें।

अपराधिक गर्भपात के मामले में वस्तुयें यथा दवायें, वानस्पतिक पदार्थ, जहर, फीमेल पिल्स आदि खोजें।

१३ए शिशु वध:

शिशु वध के मामले में चिकित्सा अधिकारी से यह पूछना न भूलें कि बच्चा जीवित पैदा हुआ या मृत?

बच्चे के पैदा होने तक शिशु वध की सम्भावना बनायें रखें।

जीवित जन्म तथा मृत दशा की भिन्नता के दृष्टिगत् जो २१० दिवस है।

मृत्यु की प्रकृति के बारे में चिकित्सा अधिकारी से सुनिश्चित करें।

वास्तविक दुर्घटना, मृत्यु अथवा प्राकृतिक मृत्यु के कारण की सम्भावना को स्पष्ट करें।

प्रसव के समय उपस्थित चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ का संबंधित घटना के विषय में कथन रिकार्ड करना न भूलें।

चिकित्सा अधिकारी से माँ के रोग, विकृति के विषय में पूछे जो शिशु की मृत्यु का कारण है।

१४ण सड़क दुर्घटनाः

वाहन, वाहन की टक्कर, स्किड चिन्ह को सम्मिलित करते हुये दुर्घटना का फोटोग्राफ लेने की अनदेखी न करें।

वाहन, शव एवं स्थिर वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति को दिखाते हुये स्केच बनायें।

रक्त के धब्बे, स्किड चिन्ह, टायर चिन्ह, ड्रेगिंग चिन्ह, टूटे शीशे के टुकड़ों, पेन्ट आदि के लिये घटनास्थल का निरीक्षण करना कभी न भूलें।

विवेचना अधिकारी से ड्राइवर/चालक की शिथिलता के बारे में पूछें।

यांत्रिाक त्राुटि के लिये वाहन का परीक्षण रक्षा प्राधिकारी द्वारा करायें।

दुर्घटना से पूर्व की वाहन की स्थिति से अवगत होने के लिये चालक का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य करायें।

स्लियरी, बमी, संकरी, मोड़ होने जैसी सड़क की स्थिति रिपोर्ट में सम्मिलित करना न भूलें।

घटनास्थल पर कपड़े, रेशे की अनदेखी न करें क्योंकि यह पीड़ित के हो सकते हैं।

पीड़ित के कपड़ों पर शीशे के टुकड़े, पेन्ट, धातु के टुकड़े, तेल के धब्बे, ग्रीस धूल आदि की तलाश करना न भूलें।

यदि संदिग्ध वाहन घटनास्थल से दूसरे स्थान पर मिला है तो पादप वस्तुओं की जड़, मिट्टी, धूल की तलाशी करना न भूलें क्योंकि यह घटना से संबंधित हो सकते हैं।

१५ण संदिग्ध विष प्रकरणः

पीड़ित की अवस्था, बीमारी की स्थिति को विष प्रकरण में कदापि न भूलें।

विष के प्रकरण में, यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इसे कहाँ से प्राप्त किया गया? कैसे रखा गया? किस प्रकार से प्रयोग किया गया और पीड़ित में विष की कितनी घातक उपस्थिति है?

घटनास्थल पर पीड़ित के कपड़ों पर उल्टी किये गये पदार्थों को देखे व उसमें विष की विशेष गन्ध पर ध्यान दें।

घटनास्थल एवं उससे लगे क्षेत्रा में विष कन्टेनर, दवाइयों के रैपर व सीरींज आदि की तलाश करना न भूलें।

विष के भाग, बचे हुए खाने, एल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक को विष लेने हेतु साक्ष्य के रूप में खोजें।

पीड़ित के मुँह से आ रही विशेष गन्ध, रक्तयुक्त झाग की विशेष गंध को देखें।

यदि पीड़ित अस्पताल में भर्ती हो तो चिकित्सक से इलाज की जानकारी लें।

पोस्टमार्टम परीक्षण के बिना मृत्यु विष से हुयी या नहीं, निर्धारण कभी न करें।

विष परीक्षण हेतु पोस्टमार्टम प्रदर्श जैसे विसरा, रक्त, स्टमक, कन्टेन्ट्स संरक्षित रखना न भूलें।

संदिग्ध विष प्रकरण में चिकित्सक द्वारा हड्डी, नाखून, बालों का संरक्षण करना न भूलें।

यदि विष किसी सीरींज द्वारा दिया गया हो तो चिकित्साधिकारी द्वारा इन्जेक्टेड भाग से त्वचा प्रिजर्व कराना न भूलें।

१६ण आग्नेयास्त्रा के मामलेः

आग्नेयास्त्रा को हैंडिल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह भरा हुआ है या खाली है।

आग्नेयास्त्रा को हमेशा सावधानीपूर्वक हैंडिल करें ताकि इस पर उपस्थित अँगुलि चिन्ह खराब न हो।

आत्महत्या के मामले में आग्नेयास्त्रा लाश के नजदीक और कुछ मामलों में मृतक के कार्य करने वाले हाथ में हो सकता है, इसे कभी न भूलें।

यदि आग्नेयास्त्रा लाश से कुछ दूरी पर हो तो यह आत्महत्या की कहानी से अलग हो सकता है, इसे याद रखें।

एन्ट्रीवुन्ड के चारों तरफ जलने, झुलसने, कालेपन व गोदने आदि के निशानों को कभी न भूलें।

यह हमेशा याद रखे कि गनशॉट रेजीड्यू मृतक के हाथों, कपड़ों और उसके पास वस्तुओं पर हो तो, उसे संकलित करना चाहिए।

नजदीक से फायर होने पर आग्नेयास्त्रा के ऊपर रक्त, झुलसे बाल व त्वचा के टुकड़े आदि पाये जा सकते हैं।

खाली कारतूसों, गोलियों आदि को धातु की चिमटी से कभी नहीं उठाया जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा नये चिन्ह विकसित हो सकते हैं।

आत्महत्या प्रकरणों में गनशॉट वन्ड (वुन्ड) शरीर के किसी भाग पर हो सकता है।

चिकित्साधिकारी से जो गोली या छर्रे शरीर में है किन्तु प्राप्त नहीं हुये हैं, उनकी स्थिति ज्ञात करने के बारे में पूछना चाहिए।

आग्नेयास्त्रा को कैपिंग के द्वारा सुरक्षित करना चाहिए न कि कपड़े से।

पैकिंग के पूर्व आग्नेयास्त्रा का मेक, मॉडल, कैलीबर व सीरियल नं० नोट करना चाहिए।

१७ण विस्फोट के मामलेः

अचानक विस्फोट हुये क्षेत्रा में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षेत्रा में विस्फोट होने वाली डिवाइसेस मौजूद हो सकती है।

विस्फोटक विशेषज्ञ के बिना विस्फोट से संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण नहीं करना चाहिए।

जीवित बमों एवं विस्फोटक डिवाइसेस को हैंडिल नहीं करना चाहिए, ऐसे मामलों में बम डिस्पोजल दस्ते की सहायता हमेशा लेनी चाहिए।

विशेषज्ञ के अतिरिक्त किसी को भी कोई भी वस्तु हैंडिल नहीं करने देना चाहिए।

संदिग्ध बम/विस्फोटक डिवाइसेज के पास प्रकाश व धुएँ युक्त पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए।

विस्फोटक पदार्थ की तलाशी हेतु संदिग्ध के कपड़े, जूते, वाहन, मकान, कार्य करने के स्थान की तलाशी लेना न भूलें।

अपराधी के कार्यालय, आवास, वर्कशाप से विस्फोटक बनाने से संबंधित रसायन आदि को खोजना न भूलें।

इनीशियेटिंग तथा डेटोनेटिंग डिवाइसेस को अलग-अलग पैक करना हमेशा याद रखें।

खतरनाक विस्फोटक जैसे मरकरी फल्मीनेट या लेड एजाइड को परीक्षण हेतु कभी न भेजें बल्कि इनके परीक्षणहेतु विशेष वाहक/विशेषज्ञ को अपराध स्थल पर बुलायें।

देशी बमों को ७२ घण्टों तक पानी में रखने के बाद पानी से भरे कन्टेनर में भेजें।

१८ण नकबजनीः

फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ को नकबजनी के मामलों में संभावित फिंगर प्रिंन्ट्स को लोकेट करने, विकसित करने एवं लिफ्ट करने को हमेशा कहें।

मकान या दुकान के आस-पास टायर के चिन्हों, दरवाजों का खिड़कियों पर औजारों के चिन्ह, फर्श पर पद चिन्ह एवं जूतों के निशान को हमेशा देखें।

अपराधस्थल पर सिगरेट एवं बीड़ी के टुकड़ों, पान मसाला पाउचों की अनदेखी न करें।

अपराधी द्वारा अपराधस्थल पर उससे संबंधित वस्तु/औजार को हमेशा देखें।

यह याद रखें कि अपराधी घटनास्थल पर शराब की बोतल, डिसपोजेबल ग्लास, खाने का सामान, समाचार पत्रा छोड़ सकता है।

चोरी हुई सम्पत्ति से विशेष पदार्थों को जो संदिग्ध के कपड़ों, जूतों एवं वाहन पर हो, को खोजना न भूलें।

यदि संदिग्ध से औजार बरामद होता है तो पेन्ट, डिस्टेम्पर जो अक्सर दरवाजों, खिड़कियों एवं आल्मारियों से ट्रान्सफर होता है, की जाँच करें।

अपराधी के फिंगर प्रिंट, पद चिन्ह जूतों के निशानों के नमूना लेना न भूले, जो अपराधी के जूतों एवं वाहन से प्राप्त हुये हैं।

पद चिन्ह, जूतों के निशान टायर चिन्ह एवं औजारों के चिन्हों की फोटोग्राफी करते समय स्केल का प्रयोग कभी न भूलें।

१९० आगजनी व आग से संबंधित मामलेः

प्रथमतः आगजनी को दुर्घटना कभी न मानें जब तक सिद्ध न हो जाय।

डेमेज, स्मोक पैटर्न और विदेशी वस्तुओं को सम्मिलित करते हुये **घटनास्थल की फोटोग्राफी** करना न भूलें।

मकान मालिक से मकान का नक्शा जिसमें कमरे, दरवाजे, खिड़कियाँ, लिफ्ट व अन्य बनावट दर्शायी गयी हो, का विवरण के बारे में पूछने में संकोच न करें।

निरीक्षण करते समय **विशेषज्ञ जैसे बिजली-इन्सटालेशन, ऊष्मीय उपकरणों और अन्य वस्तुओं** के विशेषज्ञों की सहायता लेना कभी न भूलें।

आग की शुरूआत एवं बन्द होने के सम्भावित समय की सूचना न लेना भूलें।

पदचिन्हों, जूतों के निशान, टूलमार्क्स जो प्रवेश एवं निर्गम बिन्दुओं पर हो, की सम्भावना को न भूलें।

फ्यूज कार्ड, विस्फोटक डिवाइसेस के अवशेष, रिमोट के भाग तथा जलने के अवशेषों (इनीशियेटर) को संकलित करना न भूलें।

घटनास्थल पर, विस्फोटक पदार्थों, रसायनों या ज्वलनशील पदार्थों की विशेष गंध की अनदेखी न करें।

ज्वलनशील पदार्थों जैसे **पेट्रोल, डीजल तथा कैरोसीन, मिट्टी,** सतह के अवशेष, धुएँ तथा राख का जमाव, जले कपड़े एवं पेपर को हमेशा संकलित करें।

यदि विद्युत सप्लाई की टेम्परिंग हो तो बिजली इंजीनियर की सहायता लेने में संकोच न करें।

ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित सभी अवशेषों को वायुरोधी पालीथीन या प्लास्टिक बैग में पैक करें।

२०० जाली करेन्सी सिक्के व नोटः

ताँबे व उसकी मिश्रधातु के कारण जाली सिक्के अलग तरीके की आवाज एवं रिंगबेल उत्पन्न करते हैं।

अपराधी तथा घटनास्थल से असली एवं अर्धनिर्मित सिक्के साथ-साथ संकलित करना न भूलें।

सिक्के बनाने के ब्लॉक, फोटोग्राफिक प्लेट्स, फिल्मों एवं प्रिन्टिंग कागज तथा कापर एवं जिंक की प्लेट पर संदिग्ध के अँगुलिचिन्ह की सम्भावना की अनदेखी न करें।

विशेषकर विभिन्न आकारों (नोटों के) काटे गये प्रिंन्टिंग कागजों को संकलित करना न भूलें।

घटनास्थल के निर्गम एवं प्रवेश बिन्दुओं पर पदचिन्हों तथा जूतों के निशानों को देखना न भूलें।

लिखावट इम्पलीमेन्ट्स जैसे, पेन, पेंन्सिल, लिथोपेंसिल एवं पेन्टिंग ब्रश की उपस्थिति की अनदेखी न करें।

संदिग्ध के कपड़ों, बालों, विशेषकर नाखूनों में रंग एवं इंक के अवशेषों की हमेशा खोज करें।

२१० प्रश्नगत प्रलेख:

नाजुक प्रलेखों की हमेशा असावधानीपूर्वक त्वरित हैंडिलिंग न करें, यदि आवश्यकता हो तो इनकी फोटाग्राफी उपयोग करें।

सूर्य के तीव्र प्रकाश, ऊष्मा तथा नमी में प्रलेखों को खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह खराब (सिकुड) हो सकता हैं।

कभी भी प्रलेखों को अनावश्यक मोड़ना नहीं चाहिए और पैकैट में ही रखकर भेजना चाहिए।

प्रलेख में पिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो फाईल बनाने में पेपर क्लिप का प्रयोग करना चाहिए।

प्रलेख में किसी भी भाग में अन्डर लाईन नहीं करना चाहिए यदि आवश्यक हो तो मूल लेख से अलग रखने के लिए प्रलेख को घेर देना चाहिए।

प्रलेख के पिछले भाग पर विवरण लिखना चाहिए।

सभी हस्तलेख, टाइप राइटिंग, प्रिन्टिंग तथा मोहर छाप सावधानीपूर्वक अध्ययन करना नहीं भूलना चाहिए।

प्रलेख की दशा जैसे जला हुआ, फटा हुआ हो उसकी उपेक्षा न करें।

प्रलेख के बाद के पृष्ठ पर इन्डेटेंशन मार्क (दबाव चिन्ह) हमेशा देखना चाहिए।

मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हस्तलेख का नमूना लेना चाहिए और यदि सम्भव हो प्रत्येक पेज उसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

नमूना लेते समय, आलेख (डिक्टेशन) धीमी गति, मध्यम गति तथा तेज गति से लेना न भूलें।

संदिग्ध को कभी भी विवादित प्रलेख नहीं दिखाना चाहिए।

२२० इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित अपराध:

इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को डील करते समय सामान्य विधि विज्ञान और प्रक्रियात्मक सिद्धान्तों को हमेशा अपनाना चाहिए।

इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की खोज, एकत्राण एवं संरक्षण करते समय प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता लेना कभी न भूलें।

साक्ष्य की स्थिति में कभी परिवर्तन न हो, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।

कम्प्यूटर से डाटा एकत्रित करते समय की-बोर्ड को छूना व माउस को क्लिक करना उचित नहीं है।

संबंधित व्यक्ति से सूचनायें लेना कभी न भूलें।

इलेक्ट्रानिक उपकरण के मालिक तथा कार्य करने वाले का नाम एवं पासवर्ड नोट करना कभी न भूलें।

डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस से संबंधित विशेष सिक्योरिटी स्कीम तथा डाटा स्टोरेज से संबंधित किसी कार्यालय की सूचनाएँ, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सिस्टम का स्पष्ट विवरण लेना न भूलें।

मॉनीटर, कम्प्यूटर मशीन (सी०पी०यू०), प्रिन्टर आदि जो भी एसेसरीज डिवाइसेस घटनास्थल पर प्राप्त होती हैं, को सुरक्षित करना कभी न भूलें।

मॉनीटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही सूचनाओं की फोटोग्राफी हमेशा करें।

कम्प्यूटर से पावर को हमेशा अलग कर दें।

डिवाइस का मेक, माडल एवं क्रम सं० रिकार्ड करना न भूलें।

सभी केबिल्स के किनारों को मार्क एवं लेबिल करें।

चुम्बकीय वस्तुओं को एन्टीमैगनेटिक कन्टेनर जैसे पेपर या प्लास्टिक बैग में पैक करें।

प्रत्येक कम्प्यूटर सिस्टम को अलग-अलग पैक करें क्योंकि एक दूसरे से समानता रख सकते हैं।

२३ण डीएनए प्रोफाइलिंगः

छोटे से छोटा जैविक पदार्थ डीएनए प्रोफोइलिंग हेतु अहम हो सकता है।

जीवित व्यक्ति से जैविक पदार्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाना चाहिए।

जैविक पदार्थ को रेफ्रीजिरेटर में ४०ब तापमान पर रखना कभी न भूलें एवं यथाशीघ्र (अविलम्ब) प्रयोगशाला प्रेषित करें।

रक्त रंजित कपड़े एवं रक्त का स्वाब हवा में सुखाकर पैक करना चाहिए।

रक्त के नमूनों को उचित एन्टीकागुलेन्ट यथा म्क्ज। में संरक्षित करना चाहिए।

वायुरोधी कन्टेनर अथवा प्लास्टिक बैग में गीले रक्त को कदापि पैक न करें।

पैंकिंग एवं प्रेषण के समय जैविक नमूने की विश्वसनीयता (इन्टीग्रिटी) को कभी न भूलें।

यदि वाहन में रक्त लगा हो तो उसे प्रयोगशाला प्रेषित करने में संकोच न करें।

याद रखें कि पैकिंग के पूर्व अन्डर गारमेन्टस, बेडशीट्स, तकिया कवर आदि अन्य नम वस्तुओं को छायादार स्थान में सुखायें।

वीर्य से संबंधित साक्ष्य यथा वैजाइनल स्लाइड, प्यूबिक हेयर आदि पीड़िता से एकत्रित करने हेतु सदैव चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करना न भूलें।

खींचे गये, गिरे हुये बालों को डी०एन०ए० प्रोफाइलिंग के लिये एकत्रित करें।

सफल परिणाम हेतु १० से २० जड़ सहित बाल एकत्रित करना न भूलें।

सभी भागों से बाल परीक्षण हेतु एकत्रा कर अलग-अलग पैक करें।

पैकिंग के पूर्व ध्यान रखें कि बाल सूखे हुये रक्त, टिशू व वीर्य में न मिलें।

यदि विवेचना में आवश्यक हो तो पोस्टमार्टम नमूनों को डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु एकत्रा करने को कहें।

डूबकर हुई मौतः———

जब कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो श्वसन क्रिया के साथ फेफड़ों में पानी चला जाता है और फेफड़ों की थैलियों में पानी एवं वायु भर जाती है जिससे इसकी रक्त कोशिकायें व झिल्ली फट जाती है। इस प्रकार पानी में उपस्थित डायटम रक्त प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न भागों एवं ऊतकों में पहुँच जाते हैं यदि फेफड़ों से दूरस्थ अंगो जैसे मस्तिष्क तथा अस्थि मज्जा में डायटम की उपस्थिति पायी जाती है तो यह पानी में डूबने से मृत्यु की पुष्टि करता है।

डायटम परीक्षण हेतु फीमर या टिबिया हड्डी (लगभग २ ग ३ बउे लम्बी) तथा उस स्थान के पानी की आवश्यकता होती है।

यदि किसी स्थान से शव बरामद होता है जहाँ पानी सूख गया है वहाँ से सूखी मिट्टी का नमूना एकत्रा करना चाहिए।

ननन

डॉ० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद से प्रकाशित

होने वाली

पुस्तकों का विवरण

क्र० सं०	पुस्तक का नाम	संस्करण
१.	भारतीय दण्ड संहिता	२०१८
२.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	२०१८
३.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	२०१८
४.	केन्द्रीय विविध अधिनियम भाग-१	२०१८
५.	केन्द्रीय विविध अधिनियम भाग-२	२०१८
६.	उत्तर प्रदेश विविध अधिनियम	२०१८
७.	भूलेख एवं भू सर्वेक्षण	२०१८
८.	जिला अपराध अभिलेख पुस्तिका	२०१८
९.	ए हैण्डबुक फॉर पुलिस फार्म्स	२०१८
१०.	न्यायालयिक विज्ञान एवं अपराध अन्वेषण वस्तुनिष्ठ विवेचना में वैज्ञानिक सहायता एवं तकनीक	२०१८
११.	अश्व एवं अश्वशाला प्रबंध	२०१८
१२.	मादक द्रव्य संहिता	२०१८
१३.	घटनास्थल प्रबंधन प्रोटोकॉल	२०१८
१४.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर क्राइम	२०१८
१५.	पुलिस विज्ञान प्रथम	२०१८
१६.	पुलिस विज्ञान द्वितीय	२०१८

प्रकाशक

प्रकाशन शाखा
डॉ॰ भीमराव आम्बेडकर पुलिस अकादमी
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

मुद्रक
वीपीएस इंजीनियरिंग इम्पैक्स प्रा. लि.
बी–4, सैक्टर–60, नौएडा–201309
फोन : 0120–4317109
ई–मेल : marketingvps2013@gmail.com

संस्करण 2018

35000 प्रतियाँ